तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/1/26	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र वास्ते प्रार्थीगण की आयु 60 वर्ष से कम होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु पेश हुई। अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राथी क्रम–1 द्वारा स्वयं को वरिष्ठ नागरिक बताते हुये प्रार्थना पत्र में अपनी आयु–68 वर्ष बताई है जबकि प्रार्थी क्रम–1 की अपने अधार कार्ड में जन्मतिथि – 09.11.1968 है तथा प्रार्थी क्रम–1 की स्कूल की टी.सी. में जन्मतिथि–01.01.1967 है। दोनो ही दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थी क्रम–1 की आयु–60 वर्ष से कम है ऐसी स्थिति में प्रार्थी क्रम–1 उक्त अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद पेश करने एवं अनुतोष प्राप्त करने के लिये अधिकृत नही है। इसी क्रम में प्रार्थी क्रम–2 द्वारा अपनी आयु–60 वर्ष बताई गई है जबकि प्रार्थी कम–2 के विरूद्ध अप्रार्थी कम–1 ने थाना रानपुर में एक एफआईआर नं0–160/2023 दर्ज कराई गई थी जिसमें पुलिस अनुसंधान में पुलिस ने प्रार्थी क्रम–2 का जन्म वर्ष 1973 बताया है इसके अलावा प्रार्थी क्रम–2 ने एक एफआईआर नं0–175/2022 मण्डाना थाना में किसी व्यक्ति के विरूद्ध वर्ष 2022 मैं दर्ज कराई थी। जिसमें उसने स्वयं की आयु–48 साल बताई है। उपरोक्त दोनो ही दस्तावेज में प्रार्थी क्रम–2 की आयु–60 वर्ष से कम रही है। इस प्रकार प्रार्थी क्रम–2 भी इस आधिनियम के अन्तर्गत आवदन करने एवं अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। दोनो ही प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी आयु के तथ्य छुपाते हुये तथा न्यायालय को गुमराह करते हुये मिथ्या एवं फर्जी दस्तावेजो के आधार पर अप्रार्थींगण के विरूद्ध यह मुकदमा पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का परिवाद उपरोक्त स्थिति में एवं दस्तावेजो के आधार पर सम्यक आयु पूर्ण ना होने से चलने योग्य नही है जिसे खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। साथ–साथ प्रार्थीगण के विरूद्ध फर्जी दस्तावेज के आधार पर मुकदमा लाने के संबंध में तथा न्यायालय को गुमराह करने के संबंध में एक शिकायत पूलिस विभाग में दर्ज कराई जानी आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा झूठे एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रार्थीगण के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो वह भी अप्रार्थीगण को प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की मद कम 2 अस्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आयु प्रार्थी ओमप्रकाश की गलत होना बताया है,वो दिनांक 9.11.1968 गलत है,तथा अप्रार्थी द्वारा जो स्कूल की फर्जी टी सी में जन्म तिथी दिनांक 1.1.1967 से बतायी है,वह भी गलत है. वास्तविकता यह है कि प्रार्थी ओमप्रकाश की वास्तविक आयु 9.11. 1962 है,ओर यही जन्म तिथी उसके आधार कार्ड मे अंकित है,तथा प्रार्थीया क्रम 2 धन्नी बाई की आयु आधार कार्ड व जनआधार कार्ड में 5.2.1962 है,जो सही है,अप्रार्थी द्वारा जो आधार कार्ड पेश किया गया है,उसमे गलती से पहले प्रार्थी की आयु 1988 दर्ज कर दी गयी थी जिसे बाद में प्रार्थी द्वारा शुद्धि कराते हुए अपनी आयु 9.11.1962 जो वास्तविक है,दर्ज करवाकर आधार कार्ड मे हुई त्रुटि को सही करवा दिया गया था उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा जनआधार कार्ड में भी अपनी आयु 9.11.1962 ही दर्शायी है,जिससे भी यह जाहिर होता है कि प्रार्थी की वास्तविक आयु 9.11.1962 ही है,ओर उक्त जन्मतिथी के आधार पर प्रार्थी की आयु 63 वर्ष के लगभग है,जो कि सिनियर सिटीजन	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रावधान के अन्तर्गत आता है। अप्रार्थीगण ने पहले से ही प्रार्थी पिता व प्रार्थीया उसकी मां को घर से बाहर निकाल रखा है,ओर फर्जी तरीके से गलत इकरारनामा पेश करके मकान का बेचाननामा अपने नाम कर रखा है,तथा बेचाननामा में प्रार्थी की आयु उसके द्वारा 21.6.2023 को 62 वर्ष दर्शा रखी है, जिससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण येनकेन प्रकारेण प्रार्थी के मकान को हथिया कर प्रार्थीगण को सड़क पर ला दिया है, जिनका कोई रहने का सहारा नही है। अप्रार्थीगण द्वारा एफआईआर नं 160/23 मेजो आये दर्शायी है,वह आयु वास्तव में प्रार्थी की आयु नही है,बल्कि धन्नी बाई की आयु बतायी गयी है। जिससे भी जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान पर कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय को कभी भी गुमराह नहीं किया गया है, और अपनी वास्तविक आयु ही प्रार्थना पत्र में अंकित की गयी है। प्रार्थीगण की वास्तविक आयु आधार कार्ड व जनआधार कार्ड में सही अंकित की गयी है, जिसके आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उक्त अधिनियम के प्रावधानों की परिधि में आता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से बहस में अपने अपने प्रार्थना पत्रों के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थी को अपनी उम्र से संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु प्रर्याप्त समय दिया गया परन्तु प्रार्थी की ओर से अपनी उम्र से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किये गए। अतः प्रार्थी का दस्तावेज पेश करने का अवसर बंद किया गया।

पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम में सीनियर सिटीजन की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। परन्तु प्रार्थी की आयु 60 वर्ष से कम है जिस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे। अप्रार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी के आधार कार्ड एवं स्कूल की टी0सी0 की प्रति पेश की है। प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड एवं टी0सी0 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की आयु वर्तमान में 60 वर्ष से कम है जो कि भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत सीनियर सिटीजन की श्रेणी में नहीं आते है। प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत खारिज फरमाए जाने का जवाब प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। जिससे अप्रार्थी द्वारा किये गये कथनों का खण्डन नहीं किया गया है जिस कारण से अप्रार्थी द्वारा किए गए कथन उचित प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत खारिज फरमाए जाने स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत सीनियर सिटीजन एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/1/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा